


बुन्देलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान
झाँसी



प्रशासकीय परिषद की 24वीं बैठक का कार्यवृत्त

बैठक संख्या	:	24 वीं
स्थान	:	सभागार कक्ष राजकीय पॉलीटेक्निक लखनऊ।
दिनांक	:	26 जुलाई, 2017
समय	:	पूर्वाह्न 11.00 बजे

Registrar

प्रशासकीय परिषद की 26 जुलाई 2017
की सम्पूर्ण बैठक में हुए निर्णयों के
अनुसार मैं आगेर काम करते हूं
४/८/१
०३/०८/१७

बुन्देलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झाँसी
की

प्रशासकीय परिषद की 24वीं बैठक का कार्यवृत

बुन्देलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झाँसी की 24वीं बैठक आज दिनांक 26.07.2017 को पूर्वाह्न 11.00 बजे मानवीय अध्यक्ष, हँ0 राकेश गुप्ता, झाँसी की अध्यक्षता में सभागार कक्ष, राजकीय पॉलीटेक्निक, लखनऊ में सम्पन्न हुई।

बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

1. हँ0 राकेश गुप्ता अध्यक्ष
37/02 सिविल लाइन्स,
झाँसी।
2. श्री भुवनेश कुमार
सचिव उपाध्यक्ष
प्राविधिक शिक्षा विभाग,
उ0 प्र0 शासन,
लखनऊ।
3. श्री केशव प्रसाद सदस्य
उप सचिव,
वित्त विभाग,
उ0 प्र0 शासन,
लखनऊ।
4. प्रो0 विनय कुमार पाठक सदस्य
मा0कुलपति
डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम
प्राविधिक विश्वविद्यालय,
सेक्टर-11
जानकीपुरम विस्तार योजना
लखनऊ।
5. मो0कफील अहमद सदस्य
निदेशक
प्राविधिक शिक्षा, उ0 प्र0
कानपुर।
6. प्रो0 विनोद यादव सदस्य
प्रोफेसर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग

एम० एन० एन० आई० टी०
इलाहाबाद ।

7. प्रो० अकील अहमद सदस्य
पूर्व डीन, लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ एवं
कन्द्रोलर ऑफ एकजाम
इंट्रीगल विश्वविद्यालय,
लखनऊ ।
8. इं० डी० के० दीक्षित सदस्य
कार्यपालक निदेशक
बी० एच० ई० एल०,
झाँसी ।
9. डा० डी० बी० शाक्यवार सदस्य
निदेशक
यू० पी० टी० टी० आई०,
11/208, शूटरगंज,
कानपुर ।
10. प्रो० गौरी शंकर सदस्य
रिटायर्ड प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
बायोकेमिकल इंजी० एवं फूड टेक्नोलॉजी
एच० बी० टी० यू०,
कानपुर ।
11. प्रो० वी० के० त्यागी सदस्य सचिव
निदेशक
बी० आई० ई० टी०,
झाँसी ।

जो सदस्य उपस्थित न हो सके :-

1. प्रो० इन्द्रनील मान्जा सदस्य
निदेशक
आई० आई० टी०,
कानपुर ।
2. प्रो० अजीत के० चतुर्वेदी सदस्य
निदेशक
आई० आई० टी०
रुडकी ।

3. प्रो० पी० बी० उलांगडी
एडवाइजर ॥,
ए० आई० सी० टी० ई०
चन्द्रलोक बिल्डिंग सातवाँ तल,
जनपथ,
नई दिल्ली ।
- सदस्य
4. प्रो० ए० जी० देशमुख
निदेशक
आई० आई० आई० टी०,
गवालियर ।
- सदस्य

- 24.01 प्रशासकीय परिषद की दिनांक 06 सितम्बर, 2014 को सम्पन्न हुई तेझसर्वी बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।
परिषद ने विचारोपरान्त प्रशासकीय परिषद की दिनांक 06.09.2014 को सम्पन्न हुई 23 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।
- 24.02 प्रशासकीय परिषद की दिनांक 06 सितम्बर, 2014 को सम्पन्न हुई तेझसर्वी बैठक में लिए गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही के विवरण से परिषद को अवगत कराना।
प्रशासकीय परिषद की दिनांक 06 सितम्बर, 2014 को सम्पन्न हुई तेझसर्वी बैठक में लिये गये निर्णयों की कृत कार्यवाही से परिषद अवगत हुई।
परिषद ने श्री राम आशीष विश्वकर्मा के प्रकरण में कृत कार्यवाही पर असंतोष व्यक्त किया तथा प्रकरण पर निदेशक स्तर से सम्यक कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया।
परिषद ने अंशकालिक महिला चिकित्सक रखे जाने के प्रकरण पर असंतोष व्यक्त किया तथा यथाशीघ्र ₹ 0 20000.00 प्रतिमाह मानदेय पर एक अंशकालिक महिला चिकित्सक को रखे जाने हेतु निर्देशित किया। साथ ही उक्त की वस्तुरिथित से अध्यक्ष महोदय को अवगत कराये जाने के लिये भी निर्देशित किया।
- 24.03 संस्थान की दिनांक 06 सितम्बर, 2014 से वर्तमान तक की प्रगति आख्या से परिषद को अवगत कराना।
परिषद संस्थान की दिनांक 06.09.2014 से वर्तमान तक की प्रगति आख्या से अवगत हुई। परिषद ने संस्थान के छात्रों का प्लेसमेन्ट प्रतिशत और अधिक बढ़ाये जाने हेतु संस्थान स्तर पर आवश्यक प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया।
- 24.04 वर्तमान में चल रहे निर्माण कार्य, भविष्य में प्रस्तावित निर्माण कार्य एवं भवन निर्माण समिति की सम्पन्न हुई 26वीं, 27वीं एवं 28वीं बैठक का कार्यवृत्त परिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत।
परिषद निर्माण कार्यों से अवगत हुई।
- 24.05 विश्व बैंक सहायतित टीईक्यूआईपी-।। सम्बंधित प्रगति आख्या परिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत।
परिषद टीईक्यूआईपी-।। से सम्बंधित प्रगति आख्या से अवगत हुई।

24.06

विश्व बैंक सहायतित टीईक्यूआईपी-111 परियोजना के अन्तर्गत संस्थान की विकास योजना परिषद के अवलोकनार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद विश्व बैंक सहायतित टीईक्यूआईपी-111 परियोजना के अन्तर्गत संस्थान की विकास योजना से अवगत हुई।

24.07

संस्थान की विद्या परिषद हेतु नामित विशेषज्ञों से परिषद को अवगत कराना।

परिषद संस्थान की विद्या परिषद हेतु अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद द्वारा 04 विशेषज्ञों को 02 वर्ष के लिए नामित किये जाने से अवगत हुई, जो निम्नानुसार हैं : -

क. सं.	अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद द्वारा नामित विशेषज्ञ
1	श्री विनीत गुप्ता, डी.जी.एम. गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट प्रा० लि०, ग्वालियर।
2	प्र०० के० के० पन्न, आई.आई.टी., दिल्ली।
3	श्री अशोक मिश्रा डी.आर.एम., झॉसी।
4	प्र०० एस. के. अवस्थी, पूर्व निदेशक, बी.आई.ई.टी., झॉसी।

24.08

संस्थान की प्रशासकीय परिषद का अध्यक्ष मनोनीत किये जाने से परिषद को अवगत कराया जाना।

शासन द्वारा इं० राकेश गुप्ता को प्रशासकीय परिषद का अध्यक्ष मनोनीत किये जाने से परिषद अवगत हुई एवं परिषद के सदस्यों ने एकमत से नव नियुक्त अध्यक्ष का स्वागत किया।

24.09

संस्थान की प्रशासकीय परिषद हेतु शासन द्वारा नामित किये गये सदस्यों से परिषद को अवगत कराया जाना।

परिषद संस्थान की सोसाइटी रूल्स के नियम- 7(XI)-(XIII), 7(XIV) में प्राविधानित व्यवस्थानुसार शासन के पत्रांक 3150/सोलह-1-2016-10(एम)/98 दिनांक 21.10.2016 के द्वारा निम्नलिखित महानुभावों को 03 वर्ष हेतु संस्थान की प्रशासकीय परिषद का सदस्य शासन द्वारा नामित किये जाने से अवगत हुई, जो निम्नानुसार है :-

सोसाइटी नियम	नामित सदस्य
7(XI)-(XIII)	<ol style="list-style-type: none"> प्र०० एस० जी० देशमुख, निदेशक, आई.आई.आई.टी., ग्वालियर। प्र०० विनोद यादव, प्रोफेसर, मैकेनिकल इंजी०, एम.एन.एन.आई.टी., इलाहाबाद। प्र०० अकील अहमद, पूर्व डीन, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ वर्तमान कब्डीलर आफ एकजाम इन्ट्रीगल विश्वविद्यालय, लखनऊ।
7(XIV)	Executive Director, बी.एच.ई.एल., झॉसी।

24.10 संस्थान की प्रशासकीय परिषद हेतु अनुसूचित वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु नामित सदस्यों से परिषद को अवगत कराना।

परिषद संस्थान के बायलॉज तथा मेमोरेन्डम आफ एसोशिएशन के नियम 7(XV) एवं 7(XVI) मे प्राविधानित व्यवस्थानुसार अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद द्वारा अनुसूचित वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 03 वर्ष (अर्थात् दिनांक 10.07.2017 से 09.07.2020 तक की अवधि) के लिये नामित किये गये सदस्यों से अवगत हुई, जो निम्नानुसार है :-

सोसाइटी नियम	नामित सदस्य
7(XV)	डा० डी०बी० शाक्यवार, निदेशक, य००पी०टी०टी०आ०, कानपुर।
7(XVI)	प्रो० गौरी शंकर, स०नि० प्रोफेसर, बायोकैमिकल इंजीनियरिंग एण्ड फूड टेक्नोलॉजी, एच०बी०टी०य००, कानपुर।

24.11 संस्थान के निदेशक के पद पर प्रो० नवीन कुमार की हुई नियुक्ति के निरस्तीकरण एवं प्रो० वी० के० त्यागी की हुई नियुक्ति से परिषद को अवगत कराना।

परिषद संस्थान के निदेशक के पद पर प्रो० नवीन कुमार की हुई नियुक्ति के निरस्तीकरण एवं प्रो० वी० के० त्यागी द्वारा दिनांक 22.12.2016 को संस्थान में निदेशक के पद पर कार्यभार अहण कर लिये जाने से अवगत हुई।

24.12 संस्थान की प्रशासकीय परिषद द्वारा नामित किये जाने वाले प्रस्तावित सदस्यों की सूची परिषद के विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद द्वारा Under Society Rules Clause No. 7(IX). के क्रम में इं० पी० ए० अरवाडकर, मैनेजिंग डायरेक्टर, करोना प्लस इंडस्ट्रीज, कौशलपुरी, कानपुर (उ०प्र०) को 03 वर्ष हेतु परिषद का सदस्य नामित किया गया।

परिषद द्वारा संस्थान के निम्नलिखित दो संकाय सदस्यों को वरिष्ठता के क्रम में Under Society Rules Clause No. 7(X) के तहत 01 वर्ष के लिये परिषद का सदस्य नामित किया गया।

क्र.सं.	नामित अवधि	परिषद के सदस्य के रूप में नामित किये जाने वाले संस्थान के दो प्रोफेसर
1.	01 वर्ष हेतु	प्रो० एम० के० गुप्ता प्रयुक्त विज्ञान एवं मानविकी विभाग बी० आ० ई० टी०, झौंसी।
2.		प्रो० अनिल कुमार कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग विभाग बी० आ० ई० टी०, झौंसी।

24.13 डा० जे० पी० सैनी को ०५ वर्ष का अवैतनिक असाधारण अवकाश अन्यत्र सेवा देने हेतु प्रदान किये जाने सम्बंधी प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत !

परिषद डा० जे० पी० सैनी को अध्यक्ष प्रशासकीय द्वारा स्वीकृत ०३ वर्ष के अवैतनिक असाधारण अवकाश से अवगत हुई तथा दो वर्ष के अतिरिक्त असाधारण अवकाश के लिये प्रशासकीय परिषद ने शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की कमी पर चिन्ता व्यक्त करते हुए शिक्षकों की कमी पूरी होने के उपरान्त भविष्य में विचार करने को कहा तथा साथ में कुल शिक्षकों में से कितने प्रतिशत को अपैतनिक असाधारण अवकाश दिया जाना चाहिए यह परिषद की आगामी बैठक में तय करने के निर्देश प्रदान किये गये ।

24.14 डा० एकता पाण्डे को दो वर्ष का अवैतनिक असाधारण अवकाश अन्यत्र सेवा देने हेतु प्रदान किये जाने सम्बंधी प्रस्ताव पर विचार एवं स्वीकृति ।

परिषद डा० एकता पाण्डे को अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद द्वारा ०२ वर्ष के अवैतनिक असाधारण अवकाश स्वीकृति किये जाने से अवगत हुई ।

24.15 डा० मुकेश शुक्ला द्वारा अतिरिक्त उपभोग किये गये अवैतनिक असाधारण अवकाश का प्रकरण परिषद के विचारार्थ/ निर्णयार्थ प्रस्तुत ।

परिषद ने डा० मुकेश शुक्ला द्वारा शासन के निर्देशों का अनुपालन करते हुए संस्थान में अपना योगदान दे दिये जाने एवं अपना औचित्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रेषित किये जाने के दृष्टिगत उनके द्वारा दि० ०२.०८.२०१२ से १६.०४.२०१३ तक कुल ०८ महीने १६ दिन के अतिरिक्त उपभोग किये गये अवैतनिक अवकाश को अवैतनिक असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान किये जाने पर अपनी सहमति प्रदान की ।

24.16 प्रो० अंजना सोलंकी को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान किये जाने तथा कार्यभार ग्रहण कराये जाने का प्रस्ताव परिषद के विचारार्थ/ निर्णयार्थ प्रस्तुत ।

डा० अंजना सोलंकी के प्रकरण पर प्रशासकीय परिषद में विस्तार से चर्चा हुयी । प्रशासकीय परिषद ने, पूर्व में परिषद के निर्देश को न मानते हुये डा० अंजना सोलंकी द्वारा नोटिस प्राप्त होने के उपरान्त भी संस्थान में सेवायें न देकर बिना अनुमति के गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय में सेवारत बने रहने को घोर अनियमितता माना ।

चौंकि डा० अंजना सोलंकी द्वारा संस्थान तथा तत्कालीन अध्यक्ष को वी०आर०एस० का आवेदन दिया जा चुका था, जिस पर तत्कालीन अध्यक्ष महोदय द्वारा अपनी सहमति दी गयी थी तथा शासन ने प्रकरण को आगामी परिषद की बैठक में रखने का

निर्देश जारी किया था परन्तु जब डा० अंजना सोलंकी की सेवायें गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में समाप्त हो गयी तो उन्होंने संस्थान में अपनी सेवायें देने का प्रार्थना पत्र निदेशक को प्रेषित किया। डा० अंजना सोलंकी के प्रार्थना पत्र पर निदेशक द्वारा दिशा-निर्देश प्राप्त करने हेतु शासन को सन्दर्भित किया गया। शासन ने प्रकरण को संस्थान की आगामी प्रशासकीय परिषद में रखे जाने का निर्देश दिया।

डा० अंजना सोलंकी के प्रकरण पर सम्यक विचारोपराक्त संस्थान की 24वीं प्रशासकीय परिषद की बैठक में निर्णय लिया कि डा० अंजना सोलंकी द्वारा परिषद के निर्देशों का पालन न करते हुये अनियमितता की गयी है। अतः पुनः सेवारत करने पर संस्थान में अनुशासन बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस सम्पूर्ण प्रकरण पर संस्थान द्वारा विधिक सलाह भी प्राप्त की गयी। विधिक सलाहबुसार डा० अंजना सोलंकी को दिनांक 26.07.2010 से वी०आर०एस० देना उचित माना गया है। अतः प्रशासकीय परिषद ने डा० अंजना सोलंकी को दिनांक 26.07.2010 से वी०आर०एस० देने पर सहमति प्रदान की तथा पेंशन की निर्धारण तिथि एवं अन्य धनराशि का निर्धारण नियमानुसार करने का निर्देश दिया।

24.17

डा० घनश्याम श्रीवास्तव द्वारा अस्वीकृत अवकाश उपभोग करने एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/ त्याग-पत्र स्वीकार करने विषयक प्रस्ताव परिषद के निर्देशानुक्रम में निर्णयार्थ प्रस्तुत।

परिषद ने डा० घनश्याम श्रीवास्तव द्वारा संस्थान में सेवारत रहते हुए बिना अवकाश लिये प्राइवेट संस्थान (ईशान कोलेज ऑफ इंजी० मथुरा) में कार्यरत रहने तथा प्राइवेट संस्थान से वेतन भुगतान लेने को घोर अनियमितता माना।

तदक्रम में परिषद ने डा० श्रीवास्तव द्वारा संस्थान में पुनः दिनांक 23.01.2012 से 16.06.2012 तक की अवधि में संस्थान में दी गयी सेवाओं पर हुए वेतन भुगतान को जमा कराते हुए दिनांक 06.07.2010 से उनका त्याग-पत्र स्वीकार करते हुए अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया।

24.18

डा० संतोष कुमार साहू द्वारा अतिरिक्त उपभोग किये गये अवैतनिक असाधारण अवकाश का प्रकरण परिषद के विचारार्थ/ निर्णयार्थ प्रस्तुत।

परिषद ने प्रकरण से अवगत होते हुए निर्देशित किया कि, प्रकरण का सक्षम रूप से पुनः परीक्षण करा कर सुस्पष्ट प्रस्ताव आगामी प्रशासकीय परिषद की बैठक में रखें।

24.19

शासकीय निर्देशन के अनुक्रम में, प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितताओं में तत्कालीन निदेशक के सहयोगी रहे संस्थान के कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही तथा दण्ड निर्धारण किये जाने का प्रस्ताव परिषद के विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

परिषद ने श्री राम सेवक प्रसाद (जू० नो० इफ्टर/वरि० साहचक) द्वारा की गयी अनियमिततायें पर अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा दण्ड निर्धारण हेतु संस्थान के निदेशक को नियुक्ति अधिकारी होने के नाते प्ररक्षण पर अपने स्तर पर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया।

परिषद ने प्रो० अभय कुमार वर्मा (प्रोफेसर) व डा० रघुनाथ वर्मा (असि०प्रो०) द्वारा की गयी अनियमितताओं पर अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा दण्ड निर्धारण किये जाने सम्बन्धित प्रकरण पर प्रशासनीय परिषद के सदस्य इ० डी०के० दीक्षित, कार्यपालक निदेशक (बी०एच०ई०एल०,हाँसी) को अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं दण्ड निर्धारण हेतु अधिकृत किया।

परिषद ने श्री एच० बी० शुक्ल (वित्त एवं लेखाधिकारी) द्वारा की गयी अनियमितताओं पर अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा दण्ड निर्धारण के सम्बन्ध में निर्देशित किया कि श्री शुक्ल के विरुद्ध कार्यवाही हेतु सक्षम स्तर यथा वित्त विभाग को प्रकरण संदर्भित किया जाए।

24.20

श्री हरिबल्लभ शरण शुक्ल, तत्कालीन वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 03.06.2013 एवं प्रो० अभय कुमार वर्मा द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 23.06.214 जो उज पर लगे आरोपों पर अपना पक्ष रखने विषयक है, परिषद के विचारार्थ/ निर्णयार्थ प्रस्तुत।

परिषद अवगत हुई तथा बिन्दु सं० 24.19 पर उक्त दोनों कर्मियों पर अनियमितताओं के सम्बन्ध में दिये गए निर्देश के क्रम में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया।

24.21

संस्थान की 31वीं एवं 32वीं वित्त समिति के कार्यवृत्त परिषद के विचारार्थ/ अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

परिषद संस्थान की वित्त समिति की 31वीं एवं 32वीं बैठक के कार्यवृत्त से अवगत हुई।

24.22

वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 की आडिट आपत्तियों से परिषद को अवगत कराना।

वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 की आडिट आपत्तियों से परिषद अवगत हुई। तथा वर्ष 2013-14 से अब तक आडिट ना होने पर परिषद ने असंतोष व्यक्त किया।

24.23

इंडोमेन्ट फण्ड हेतु तैयार नियमावली परिषद के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद इंडोमेन्ट फण्ड हेतु तैयार नियमावली से अवगत हुई।

24.24

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी अन्य विषय पर विचार एवं स्वीकृति।

1. संस्थान में संकाय सदस्यों के चयन व कैरियर एडवांसमेंट हेतु विषय विशेषज्ञों की सूची परिषद के समक्ष प्रस्तुत की गई जिससे अवगत होते हुए परिषद ने अनुमोदन प्रदान किया।
2. अध्यक्ष महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि, छात्रों के प्लेसमेंट को और अधिक बढ़ाने हेतु संस्थान की शैक्षिक गतिविधियों व उपलब्धियों को प्रचारित व प्रसारित किया जाये।
3. संस्थान की आमदनी को बढ़ाये जाने हेतु सोलर पावर सिस्टम के सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार किया जाये। तथा बुन्डेलखण्ड की भौगोलिक/औद्योगिक स्थिति को ध्यान में रखकर संस्थान में मार्झिनिंग इंजी०, एग्रीकल्चर इंजी० व कैमिकल टेक्नोलोजी के पाठ्यक्रमों को शुरू किये जाने हेतु औचित्यपूर्ण प्रस्ताव तैयार किये जाने का सुझाव दिया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

५८८.

(प्र० ० वी० के० त्यागी)
सदस्य सचिव, प्रशासकीय परिषद
एवं
निदेशक, बीआईईटी, झाँसी।

भृष्णु

१०.०८.१७

(श्री भुवनेश कुमार)
उपाध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद
एवं
सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग,
३० प्र० शासन, लखनऊ।

(इ० राकेश गुप्ता)
अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद
बीआईईटी, झाँसी।

